



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 03.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कैलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे स्पे० डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 05 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 26,500-26,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1. सन्दीप कुमार 2. प्रदीप कुमार पुत्रगण रामचन्द्र तिवारी नि० नवीपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात 3. नीरज वाल्मीक पुत्र कैलाश वाल्मीक नि० रिछरा फाटक थाना व जनपद दतिया म०प्र० 4. मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद हुसैन नि० ग्राम बेहटा थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर 5. दीपक उर्फ दिनेश सिंह उर्फ मीना बऊवा पुत्र भीखम सिंह नि० कुरारी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध थाना कैलिया पर मु०अ०सं० 568/13 धारा 147/148/149/307 भादवि व 12/14 यूपीडीए एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कैलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे स्पे० डकैती कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. सन्दीप 2. प्रदीप 3. नीरज 4. मो० इकबाल 5. दीपक उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 26,500-26,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री महेन्द्र विक्रम सिंह
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० प्रेम किशोर
कोर्ट मुहर्रिर



काT० सूरज बघेल कोर्ट
पैरोकार

jalaunpolice

